

शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ११११-एस-टी/३६-ए-१२१६ (एस-टी)-५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक १ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ संख्या ३२ पर प्रकाशित प्रिण्टिंग संख्या ६७९७ (एस-एम)/३६-ए-१२१६ (एस-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में "गुपरिस्टिंग इन्जिनियर" के स्थान पर शब्द "गुपरिस्टिंग इन्जिनियर" पड़िये।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र रावसेना,
सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१८-३३१-५०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६ १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अवैधित जांव तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज-कार के अधिकारों को छतरा हो सकता है।

अतएव उक्त उपधारा के प्रतिबंधक द्वारा और उक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा १) द्वारा प्राप्ति अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांव तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम राइक	कूरी मील, फासु और फीटों में	विषय
१-मेरठ रोड	१-मेरठ-यागपत रोड	३ मील से ३१ मील २ फ०	भूमि की सीमा पर्यटकों द्वारा अंकित की गई है।
	२-यागपत-सहारनपुर	१ मील से २४ मील २ फ०	"
	३-यागपत-सीता-शाहवा	शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-मुआना	२ मील से १७ मील	"
	५-मेरठ-मुलगाहुर	२ मील से २९ मील तक	"
	६-टी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील	"
	७-टी० टी० रोड	८७० मील से ८७३ मील	"
	८-यागपत-बनसटीकरी	१ मील से ६ मील	"
	९-गुवावतगर रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०-सीतापुर-रेलवे फीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११-सीतापुर-रेलवे फीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सदरना रोड	२.४२६ से १२.३.३२०	"
	१३-अरेला-सदरना रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४-मुलगाहुर-सीतागढ़ रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५-बरीद-सदरना रोड	१ से ९ मील	"
	१६-मेरठ-अरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७-नेशनल हाईवे २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८-जी० टी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश पाउंडर	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
	१९-गाजीपुर-हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०-हापुर रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-सी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील	"
	२-सतीती-जनसेय-पितापुर-बिजनौर	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-शामली-करीना	२ मील से ३१ मील	"
	४-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर	७७ मील से १० मील	"
	५-मुजफ्फरनगर-बिजनौर	७२ मील से २१ मील तक	"
	६-सीता-रकीराताल	शून्य से ३ मील तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-पूथना-रोड	७ मील तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-यागपत-सहारनपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० १११-ए-टी/३६-ए-१२१६ (ए-टी)-५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक १ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ संख्या २२ पर प्रकाशित प्रिण्टिंग त्रुटि संख्या ६७९७ (ए-एम)/३६-ए-१२१६ (ए-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में "गुपरिस्टिंग इन्जिनियर" के स्थान पर शब्द "गुपरिस्टिंग इन्जिनियर" पढ़िये।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र रावसेना,
सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-३३१-४०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जाँच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारियों को पतला हो सकता है।

अतएव उक्त उपधारा के प्रतिबंधक द्वारा और उक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा १) द्वारा प्राप्ति अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जाँच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपखण्ड संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	ग्राम नाम	दूरी मील, फीट और फीटों में	विषय
१-मेरठ रोड	१-मेरठ-बागपत रोड	३ मील से ३१ मील २ फ०	भूमि की सीमा पर्यटकों द्वारा अंकित की गई है।
	२-बागपत-सहारनपुर	१ मील से २४ मील २ फ०	"
	३-बागपत-सोनी-शाहवा	शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-मुआना	२ मील से १७ मील	"
	५-मेरठ-बुलन्दशहर	२ मील से २९ मील तक	"
	६-डी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील	"
	७-डी० टी० रोड	८७० मील से ८७३ मील	"
	८-बागपत-बनसटीकरी	१ मील से ६ मील	"
	९-सहारनपुर रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०-सोनीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११-सोनीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सदरना रोड	२.४२६ से १२.३.३२०	"
	१३-बरेली-सदरना रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४-बुलन्दशहर-सोनीनगर रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५-बरेली-सदरना रोड	१ से ९ मील	"
	१६-मेरठ-बरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७-नेशनल हाईवे २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८-डी० टी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश पाउंडर	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
	१९-गाजीपुर-हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०-हापुर रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-डी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील	"
	२-सोनीनगर-जनसंघ-पितापुर-बिजनौर	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-शामली-करीना	२ मील से ३१ मील	"
	४-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर	७७ मील से १० मील	"
	५-मुजफ्फरनगर-बिजनौर	७३ मील से २१ मील तक	"
	६-सोनीनगर-रफीराताल	शून्य से ३ मील तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-मुआना-रोड	७ मील तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-बागपत-सहारनपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

✓ १--ज० टी० रोड मंगलम हाई वे

८५ मील से १४८ मील तक योग ६३

✓ २--खो० टी० रोड मंगलम हाई वे

मील ८९ से ९२ बाईपास पूरी लग

✓ ३--बस्ती--इमरामगंज बरहमी रोड

मील ५ फ० ३ से मील ५५-५०

✓ ४--खलीलाबाद--मुबल्लाम रोड

मील १ से १५-१५ मील

✓ ५--खलीलाबाद--तामलपट्ट गिरासिपुर रोड

मील १ से १३ मील ४ फ०, १२

✓ ६--खलीलाबाद--दे. वे. पी. डी.

शुग्य से २ फ० तक

✓ ७--बस्ती--बगसी रोड

शुग्य से ३२ मील २ फ०

✓ ८--बस्ती--लीगड रोड

१ फ० २३८ फीट से ९ मील ६ फ०

✓ ९--लीगड--सोहोरातगड

शुग्य से १४ मील २ फ०

✓ १०--सोहोरातगड--नेपाल बांडर रोड

शुग्य से ५ मील ४ फ०

✓ ११--लीगड--लुम्बिनी गांधी रोड

शुग्य से १६ मील ३३० फीट

४०--गोंडा

१--बहरादख--बलरामपुर रोड

मील २९ से ३९ तक

२--गोंडा--बलरामपुर रोड

मील ० से २६ तक

३--बलरामपुर--मुलसीपुर रोड

मील ० से १७ तक

✓ ४--बलरामपुर--उतरीला रोड

मील ० से १७ तक

५--मुलसीपुर--नेपाल बांडर रोड

शुग्य से १५ तक

६--बाराबंकी--गोंडा रोड

मील २४ से मील ५५ तक

७--फेजाबाद--बहरादख रोड

मील ८ से मील ४९ तक

८--गोंडा--उतरीला रोड

मील १ से ३२ (२ फ०)

९--नवाबगंज--उतरीला रोड

मील १ से ३७ (७ फ०)

✓ १०--गोंडा--बलरामपुर

मील १ से १२ (२ फ०)

✓ ११--बहरादख--बहरादख रोड

मील २८ से ३५ (४ फ०)

१२--गण्डाल टाउन से नरपाल रोड, सी० सी० टी०

मील १ से ४ (३, ३/४ फ०)

१३--कर्मलगंज--पराजपुर

मील १ से ९ (६ फ०)

१४--पलसी ज्वारी घाट की रोड, सी० सी० टी०

मील १ से ४ (२ फ०)

४१--बहरादख

१--फेजाबाद--बहरादख रोड

मील ५० से मील ७४ तक

२--गंगामपुर रेलवे फांटर रोड

मील ० से ५ फ० ३६२ फीट तक

३--जिलयरेया रेलवे फांटर मील रोड

मील ० से २ फ० १९६ फीट तक

४--ऐम्रोत रोड--मानमोदाम रोड बहरादख

मील ० से ३ फ० २९२ फीट तक

५--बहरादख रेलवे स्टेशन

मील ० से ३ फ० २९२ फीट तक

६--ऐम्रोत रोड--जज फांटर

मील ० से १ फ० ८५७ फीट तक

७--बरगाह रोड

मील ० से ३ फ० १६० फीट तक

८--बहरादख--बहरादख घाट रोड

१ मील से २७ तक

९--बहरादख--मोरीया रोड

मील १ से १५ तक

१०--बहरादख--बलरामपुर रोड

मील ३ से २९ तक

११--बहरादख--मानमोदाम रोड

मील ० से २० मील ७ फ० ३९

सं० ११५२ (२)/१४-—३३१-५०-—इंक्विजिशन फारेस्ट एक्ट,
 १९०७ (ऐक्ट सं० १६, १९०७ ई०) की धारा ३० द्वारा प्राप्त अधिकारों
 का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि
 सरकारी विज्ञप्ति सं० १११५/१४-—३३१-५० दिनांक १० फरवरी,
 १९६० द्वारा संरक्षित (Protected) घोषित किये गये वनों में निम्न-
 लिखित वनों के लिये तथा जंगल हुए गेह इस विज्ञप्ति के विनोद से
 रद्द (Renewal) रहेगे।

वृक्षों के नाम

१ अमूल	१२ पंचवार
२ खैर	१३ सेमल
३ शम	१४ बाक
४ सफेद गिरि	१५ शमल तास
५ हलु	१६ गुन
६ काला गिरि	१७ लसीका
७ नीम	१८ विनायकी बीजम (सितमाल)
८ कदम	१९ बीजम
९ रिपॉज	२० एकेमिडस
१० बाकली	२१ जामुन
११ महुआ	२२ पतंग वलमी, (पुत्रजीव)
२३ साल	४० सोम वलमी
२४ तार मरी	४१ गुन
२५ घेर बिलासा	४२ मोलसरी
२६ गोवगुडला	४३ बीजना
२७ तिहोर	४४ अमोह
२८ अमृम	४५ विनायकी अमृम
२९ बरगद	४६ लोकर
३० गुलर	४७ गोमर मोहुर (गुन मोहुर)
३१ प. रू.	४८ कोरी
३२ पीपल	४९ लोकर
३३ कोया	५० रमली
३४ गम्हार या जमार	५१ गहेडा
३५ फंर या पापनी	५२ अमना या मने
३६ सापीन	५३ गुलर
३७ यकन	५४ सापीन या डीक
३८ आम	५५ रीठा
३९ पीरंग	

पशुपालन विभाग

मुद्रा

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ६०७/१२-ई-—७४७ (११)-५०-—सरकारी विज्ञप्ति संख्या
 १६२५/१२-ई-—७४७ (११) ५०. वि. म. २१ गांव, १९५९ ई० के क्रम
 में श्री सी० डी० कावरी सहायक प्रो. सच, एनिसल जेनिटिवल जीर
 कीडिंग पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को
 निम्न मामले का एक भाग की छद्दी १५ जनवरी, १९६० ई० से १४
 फरवरी, १९६० ई० तक सत्पञ्चात् असाधारण छद्दी १५ फरवरी,
 १९६० ई० से ३० जून, १९६० ई० की स्थापित की जाती है यदि
 निम्नी सामान्य की छद्दी पूर्ण रूप से एशिया में बाहर वितायी ना जाय।

आज्ञा से,
 राजकुमार ललवार,
 सचिव।

मुद्रा

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० १९६-ई (६०)/२३-पी-वी-—६८-ई-
 वात मेट, एनर्जीवमिटिव इन्जीनियर, हाइड्रोएलेक्ट्रिक
 ९० दिन की उपाजित छद्दी ९ नवम्बर, १९५९
 है।

पित्त (प्राथम्यक) विभाग

निधि

५ फरवरी, १९६० ई०

सं० बी-७५५९/१०-—१०२-५९-—इंक्विजिशन विज्ञप्ति
 (ऐक्ट सं० १८, १९४४) की धारा ५ की उपधारा (१)
 तथा इस विषय में जारी की हुई पिछली समस्त विज्ञप्ति
 को रद्द करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल घोषित करते हैं कि
 सरकार द्वारा जारी की गयी उन प्रतिभूतियों के सम्बन्ध
 में उक्त ऐक्ट लागू होता है, उक्त उपधारा के उपबन्ध
 सरकारी कार्यालयों पर लागू होंगे—

सं० बी-७५६०/१०-—१०२-५९-—इंक्विजिशन विज्ञप्ति
 १९२० (ऐक्ट सं० १०, १९२०) की धारा ६ की उपधारा
 अनुसार तथा इस विषय में जारी की गई पिछली समस्त
 अधिष्ठात करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल घोषित करते हैं कि
 प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी, उन प्रतिभूतियों (१)
 सम्बन्ध में, जिन पर उक्त ऐक्ट लागू होता है, उक्त
 उपबन्ध निम्नलिखित सरकारी कार्यालयों पर लागू होंगे—

भारत सरकार के सामंजसिक कार्यालय

- एलाउमेंट्स जवरल।
- एलाउमेंट्स आफिसर, आफ रेलवेज, अम्बर कम्पन
- एलाउमेंट्स आफिसर कमांडिङ्ग, हेडक्वार्टर्स, संयमा १
- एलाउमेंट्स आफिसर कमांडिङ्ग, हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग
- ए० ए०, मंगलौर।
- एलाउमेंट्स आफिसर कमांडिङ्ग-इन-आर्म्स, हेडक्वार्टर्स
- कमांड, आई० ए० ए०, पालम।
- एलाउमेंट्स आफिसर इन्चार्ज, एंशमिनिट्रेशन, ए०
- आई० ए०